न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती निधि उड़सरिया आरएएस

प्रकरण सं0 : 191/2025

अनवान :

1. राकेश कुमार पुत्र सुगनचन्द जाति ब्राहम्ण निवासी कलाना तहसील भादरा।

:— वादी

बनाम

1. सुगनचन्द पुत्र सागरमल जाति ब्राहम्ण निवासी कलाना तहसील भादरा।
2. शकुन्तला पत्नी सुगनचन्द जाति ब्राहम्ण निवासी कलाना तहसील भादरा।
3. किरण पुत्री सुगनचन्द जाति ब्राहम्ण निवासी कलाना तहसील भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:— प्रतिवादीगण

आज यह वाद न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री राजेश कुमार एवं वकील प्रतिवादीगण श्री विनोद कुमार शर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा कलाना के खाता संख्या 557/557 के खसरा संख्या 274, 274/1, 790, 794, 881 कुल खसरा 5 की 17.1280 है0 बारानी में प्रतिवादी संख्या 1 सुगनचन्द के नाम 9/32 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 सुगनचन्द का नाम कलमजन किया जाकर वादी राकेश कुमार को खातेदार घोषित किया जाता है। चूंकि प्रतिवादी सं0 1 तथा 3 ने अपना हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। अतः त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटि अदा करने पर व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहनमुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 26.08.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(निधि उड़सरिया)RAS
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Nidhi Udsaria
Date: 2025.09.04 13:43:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती निधि उड़सरिया आरएएस

प्रकरण सं0 : 191/2025

अनवान :

1. राकेश कुमार पुत्र सुगनचन्द जाति ब्राहम्ण निवासी कलाना तहसील भादरा।

:– वादी

बनाम

1. सुगनचन्द पुत्र सागरमल जाति ब्राहम्ण निवासी कलाना तहसील भादरा।
2. शकुन्तला पत्नी सुगनचन्द जाति ब्राहम्ण निवासी कलाना तहसील भादरा।
3. किरण पुत्री सुगनचन्द जाति ब्राहम्ण निवासी कलाना तहसील भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत : इस्तकरार हक

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री राजेश बैनिवाल **: वादी**

वकील श्री विनोद शर्मा **: प्रतिवादी सं0 1 ता 3**

दिनांक : 26·08·2025

निर्णय

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा कलाना के खाता संख्या 557/557 के खसरा संख्या 274, 274/1, 790, 794, 881 कुल खसरा 5 की 17.1280 है0 में प्रतिवादी संख्या 1 सुगनचन्द के नाम 9/32 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है जो प्रतिवादी सुगनचन्द को अपने पिता सागरमल से प्राप्त हुई है। सागरमल के देहान्त होने के उपरान्त उक्त वादभूमि तन्हा प्रतिवादी संख्या 1 को महज कर्ता खानदान होने के चलते प्राप्त हुई है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 3 द्वारा आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा जवाबदावा पेश किया गया। वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की आवश्यकता नहीं है अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में राकेश कुमार पुत्र सुगनचन्द जाति ब्राहम्ण निवासी कलाना तहसील भादरा के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी रोही मौजा कलाना के खाता संख्या 557/557 संवत 2074–77 प्रदर्श 1, सदस्य प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत कलाना प्रदर्श 2, जमाबंदी रोही मौजा कलाना संवत 2074–77 खाता संख्या 656/604 प्रदर्श 3, जमाबंदी रोही मौजा कलाना संवत 2050 खाता संख्या 452/425 प्रदर्श 4 प्रदर्शित करवाये गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Nidhi Udsaria
Date: 2025.09.04 13:43:58 IST
Reason: SelfAttested

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पत्ति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वादभूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादी एवं प्रतिवादीगण के हक पर विपरित असर पड़ता है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

Nidhi
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा

Scanned with CamScanner

राकेश कुमार बनाम सुगनचन्द आदि

न्यायालय द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने रोही मौजा कलाना के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी व सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 1 से 4 प्रदर्शित करवाये। वाद भूमि रोही मौजा कलाना के खाता संख्या 557/557 के खसरा संख्या 274, 274/1, 790, 794, 881 कुल खसरा 5 की 17.1280 है0 बारानी में प्रतिवादी संख्या 1 सुगनचन्द के नाम 9/32 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 सुगनचन्द का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार घोषित किया जावे। चूंकि प्रतिवादी सं0 1 तथा 3 ने अपना हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा के आधार पर साबित होने पर स्वीकार किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा कलाना के खाता संख्या 557/557 के खसरा संख्या 274, 274/1, 790, 794, 881 कुल खसरा 5 की 17.1280 है0 बारानी में प्रतिवादी संख्या 1 सुगनचन्द के नाम 9/32 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 सुगनचन्द का नाम कलमजन किया जाकर वादी राकेश कुमार को खातेदार घोषित किया जाता है। चूंकि प्रतिवादी सं0 1 तथा 3 ने अपना हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। अतः त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटि अदा करने पर व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहनमुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 26.08.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(निधि उड़सरिया) RAS
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Nidhi Udsaria
Date: 2025.09.04 13:43:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamSca